प्रेस नोट जनपद बलिया
दिनांक- 25.08.2026

थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा धारा 87 BNS से सम्बन्धित 1 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री संजय वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतीश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनी है कि आज दिनांक 25.8.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 आदित्य कुमार मय हमराह के साथ अपहृता/पीड़िता के लोकेशन जयपुर राजस्थान के पते पर पहुँचकर थाना हरमाड़ा जयपुर शहर के पुलिस बल की मदद से अपहृता/पीड़िता व अभियुक्त की तलाश की गई । तो पता चला कि अभियुक्त व अपह्यता अपने घर बलिया के लिए निकल चुके है । तत्पश्चात थाना कोतवाली के पुलिस बल वापस जनपद बलिया आयी । मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के पीड़िता व अभियुक्त पालिटेक्निक कालेज बलिया के कैंपस मे ग्राउंड के पास *अभियुक्त राज राजभर पुत्र चंदन राजभर निवासी तिखमपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष* को समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार कर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-
1. मु0अ0सं0 46/2026 धारा 87 BNS थाना कोतवाली जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1. राज राजभर पुत्र चंदन राजभर निवासी तिखमपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 आदित्य कुमार चौकी प्रभारी शिवपुर दियर थाना कोतवाली, बलिया

2. का0 घनश्याम यादव थाना कोतवाली, बलिया

3. म0का0 ज्योति सिंह द्वितीय थाना कोतवाली, बलिया

सोशल मीडिया सेल

बलिया पुलिस।